न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्याः – 4127/2015 प्रार्थना पत्र

GCMS No. – 2016/00390

1. शंकरदास पिता भवंरदास बैरागी आयु 70 वर्ष निवासी सरसी तहसील निम्बाहेडा (राज०) – प्रार्थी

बनाम

1. श्री हेमराज पिता चुन्नीलाल धाकड़ आयु वयस्क निवासी सरसी तहसील निम्बाहेडा।
2. श्री भंवरलाल पिता गबुर धाकड़ आयु वयस्क निवासी सरसी तहसील निम्बाहेड़ा ।
3. श्री कन्हैयालाल पिता चुन्नीलाल धाकड़ आयु वयस्क निवासी सरसी तहसील निम्बाहेड़ा
4. श्री घनश्याम पिता शंकरलाल धाकड़ आयु वयस्क निवासी सरसी तहसील निम्बाहेडा
5. श्री मुकेश पिता बंशीलाल जी (ढणा) जाति धाकड़ आयु वयस्क निवासी सरसी तहसील निम्बाहेडा
6. श्री बद्रीलाल पिता रामसुख धाकड़ आयु वयस्क निवासी सरसी तहसील निम्बाहेडा
7. श्री मांगीलाल पिता बद्रीलाल धाकड़ आयु वयस्क निवासी सरसी तहसील निम्बाहेडा
8. श्री राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, निम्बाहेड़ा (राज०)

– विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र. अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– 1955

उपस्थित :– 1– श्री नरेन्द्र वैष्णव – अधिवक्ता प्रार्थीगण
2–श्री रामेश्वरलाल धाकड – अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 से 7

:: निर्णय :: दिनांक :– 30.08.2024

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि वाके मौजा सरसी की खाता सख्या–451 की आ०न० 1165 रकबा 0.0500 हे० गे.मू.चा. स्थित है जो चाह नम्बर होकर कुआ है उक्त प्रार्थी को वसीयतनामें से सीताबाई पिता उंकारदास जी बैरागी से प्राप्त हुई तथा वसीयतनामें के आधार से प्रार्थी का 1/3 हक हिस्सा उक्त में निहित हुआ सीताबाई पत्नी उंकारदास जी के द्वारा प्रार्थी के पिता भंवरदास जी के हक में दिनांक–25–05–1981 को उक्त का वसीयतनामा किया जिससे प्रार्थी को उक्त विरासत से प्राप्त हुई है, तथा प्रार्थी उक्त के चाह नम्बर से अपने 1/3 हक हिस्से का उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा है।

2. वर्णित आराजीयात में सीताबाई पत्नी उंकारदास जी के द्वारा प्रार्थी के पिता भंवरदास जी के हक में दिनांक–25–05–1981 को उक्त आराजीयात का वसीयतनामा किया जिससे प्रार्थी को उक्त आराजीयात विरासत से प्राप्त हुई है, तथा प्रार्थी उक्त आराजीयात के चाह नम्बर से अपने 1/3 हक हिस्से का उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा है उपरोक्त वर्णित आराजीयात को सीताबाई द्वारा प्रार्थी के पिता के हक में वसीयतनामा निष्पादित करवाया था, तभी से प्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 15:57:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

के पिता व उनकी मृत्यु के बाद प्रार्थी स्वंय उक्त आराजीयात का उपयोग उपभोग बिना किसी बाधा के 35 वर्षों से करता चला आ रहा है तथा उक्त आराजीयात सहवन से प्रार्थी के पिता जी के नाम दर्ज होना रह गई थी, जिसको प्रार्थी अपने नाम घोषित करा कर राजस्व रिकार्ड में अपने नाम अमल दरामद कराने का अधिकारी है।

3. वर्णित आराजीयात में विपक्षीगण का प्रार्थी के 1/3 हक हिस्से में किसी भी प्रकार से कोई भी दखलन्दाजी करने का व उपयोग–उपभोग में किसी भी का बाधा उत्पन्न करने का कोई कानूनी हक व अधिकार नही है इसके बावजुद भी विपक्षीगण का प्रार्थी के हक हिस्से से कोई लेना–देना नही है फिर भी प्रार्थी को उसके हक हिस्से व कुऐ पर आने–जाने में दखलन्दाजी करते है तथा अपने 1/3 हक हिस्से में जबरन दखलन्दाजी करते है जबकि विपक्षीगण का प्रार्थी से कोई लेना–देना नही है, इसलिये प्रार्थी विपक्षीगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पांबद कराने का अधिकारी है कि प्रार्थना–पत्र की चरण संख्या–01 में वर्णित आराजीयात में प्रार्थी के 1/3 हक हिस्से में विपक्षीगण जबरन दखलन्दाजी न तो स्वंय करें न ही किसी अन्य से करावें उपयोग–उपभोग में बाधा न तो स्वंय पैदा न ही किसी अन्य से करावे एवं आने–जाने एवं कृषि यंत्र लाने एवं ले जाने एवं में किसी भी प्रकार रूकवाट न तो स्वंय पैदा करें न ही किसी अन्य करावें इस आशय से प्रार्थी विपक्षीगण को पांबद करवाने का अधिकारी है।

4. प्रकरण दर्ज किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षी क्रमांक 1 से 7 ने जवाब प्रार्थना पत्र मय काउन्टर क्लेम पेश किया तथा प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रकरण में अपना जवाब काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया । विपक्षी संख्या 8 का जवाब प्रस्तुत नहीं करने से जवाब बन्द किया गया।

5. बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थीके अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जाने का निवेदन किया तथा विपक्षीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा विपक्षी नम्बर 1 से 7 का कब्जा चला आ रहा है तथा विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कर दिया गया तो मंदिर की भूमि पडत रह जावेगी तथा विपक्षीगण का प्रथम दृष्टया केस साबित होकर सुविधा का सन्तुलन भी विपक्षीगण के पक्ष में है।

उपर्युक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 212 के आलोक में सर्वप्रथम अस्थाई निषेधाज्ञा [illegible] प्रकरण के तथ्यों के मद्देनजर आवश्यक प्रतीत होता है। किसी [illegible] अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष सिद्ध करने हेतु तीन महत्व[illegible] इस प्रकार है–

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 15:57:55 IST
Reason: SelfAttested

I. __प्रथम दृष्टया मामला__– किसी प्रकरण में अ[illegible] निषेधाज्ञा का प्रकरण सिद्ध करने हेतु विवादित आराजी पर प्रार्थी का स्वा[illegible] तथा कब्जा होना प्रथम शर्त है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र में वर्णित वादग्रस्त भूमि प्रार्थी ने प्रकरण में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किये है जिससे प्रार्थी का

Scanned by CamScanner

कब्जा साबित हो। अतः प्रार्थी अपना स्वामित्व तथा कब्जा साबित करने में विफल रहा है। वादग्रस्त भूमि के खातेदार विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीके पक्ष में नहीं बनता है।

II. <u>अपूरणीय क्षति</u>– किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रकरण सिद्ध करने हेतु विवादित आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा के अभाव में प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होना द्वितीय शर्त है। प्रकरण के अवलोकन से प्रार्थी ने वादग्रस्त आराजियात पर अपना कब्जा होना साबित नहीं किया है। इसलिए प्रार्थीको विवादित आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा के अभाव में कोई अपूरणीय क्षति नहीं होना सावित होता है।

III. सुविधा का संतुलन :– किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रकरण सिद्ध करने हेतु विवादित आराजी पर प्रार्थी के पक्ष में सुविधा का संतुलन का झुकाव होना तृतीय शर्त है। विवादित आराजी में प्रथम दृष्टया मामला एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थीके पक्ष में नहीं होने से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीके पक्ष में नहीं बनता है।

9. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 212 के आलोक में अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन महत्वपूवर्ण कानूनी बिन्दुओं को विश्लेषण किया। तीनों बिन्दु प्रार्थीके पक्ष में साबित नहीं होते है। पत्रावली के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी एवं विपक्षीगण की पुश्तैनी पेतृक आराजियात हैं। प्रथम दृष्टया मामला एवं अपूरणीय क्षति एवं सुविधा का संतुलन बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं हुए हैं। अतः प्रकरण में पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज किया जाना उचित हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीका प्रार्थना पत्र साबित नहीं होने से खारिज योग्य है।

–:आदेशः–

पत्रावली का अवलोकन किया गया पक्षकारान के लायक अभिभाषकगण की बहस पर गोर किया। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति अप्राथीगण के पक्ष में साबित हो रहे है प्रार्थिगण के पक्ष मे प्रथम दृष्टिया प्रकरण और सुविधा का संन्तुलन भी नहीं पाया गया अतः प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हकदार नहीं है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है। यह प्रार्थना पत्र हक अधिकार का अंतिम निधारण नही करता है हक अधिकार का प्रश्न वाद शहादत मूल वाद मे तय होगा खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 30.09.2024 को लिखाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 15:57:55 IST
Reason: SelfAttested

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

Scanned by CamScanner